न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 251 / 2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 मंगनाराम 2 रतनाराम 3 लुणाराम 4 चम्पालाल पिसरान गिरधारीराम जाति माली निवासी उतरलाई पटवार हल्का कवास तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :— 1 श्री सुनिल मेराजा वकील प्रार्थीगण।
2 तहसीलदार बाडमेर अप्रार्थी।

आदेश

दिनांक 11.2.20

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उतरलाई पटवार क्षैत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 194 / 4 रकबा 60.00 बीघा जिसके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 07.06 बीघा अवाप्त होने से नये खसरा संख्या 194 / 4 रकबा 40.07 बीघा, खसरा संख्या 344 / 4 रकबा 08.02 बीघा तथा खसरा संख्या 343 / 4 रकबा 04.05 बीघा कुल रकबा 52.14 बीघा भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व की स्थित है। उक्त भूमि में 60.00 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त अनुसार तत्समय 60.00 बीघा भूमि की तरमीम की जानी थी किन्तु राजस्व अधिकारियों ने रिकॉर्ड में 60.00 बीघा भूमि के स्थान पर 44.45 बीघा भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में कर दी, जो गलत है। उक्त गलत तरमीम को सही करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2019 / 4483 दिनांक 05.08.2019 द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम उतरलाई के खसरा संख्या 4 में से प्रार्थीगण द्वारा 60.00 बीघा भूमि क्रय की गई थी जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में से 07.06 बीघा अवाप्त होने से नये खसरा संख्या 194 / 4, 343 / 4, 341 / 4, 342 / 4 व 344 / 4 का कुल रकबा 60.00 बीघा है, परन्तु लठ्ठा ट्रेस में मूल खसरा संख्या 194 / 4 की भूमि वक्त क्रय करने पर लठ्ठा ट्रसे में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार 60.00 बीघा की तरमीम नही करके भूलवंश कम तरमीम लठ्ठा में की गई। मौका फर्द के संलग्न प्रदर्श 'अ' में लाल रंग के अनुसार प्रदर्शित को लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंसा की है।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण एवं तहसीलदार बाडमेर को सुना गया व तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट व मौका प्रतिवेदन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पुष्टी होती है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त रिपोर्ट व मौका प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित तरमीम ग्राम उतरलाई पटवार क्षैत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 194/4, 343/4, 341/4, 342/4 व 344/4 कुल रकबा 60.00 बीघा भूमि में, जो सलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल (डोटड लाईन) से प्रदर्शित अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख व लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करें। प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11-2-20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.06.25 17:36:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: